संख्या–100/53–2–18–19(विविध)/16

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–दुग्ध आयुक्त
दुग्धशाला विकास विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

2–प्रबन्ध निदेशक,
पी0सी0डी0एफ0लि0,
29 पार्क रोड, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः31 मई, 2018

विषयः– उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अंतर्गत दुग्ध विकास विभाग की सेवा ''दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय''(प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के निबन्धन) को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत दुग्ध विकास विभाग की जी0 2 सी0 कैटेगरी में प्रदान की जा रही सेवा ''दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय'' **(Decision on registration of Dairy committees)** को प्रदेश में ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराते हुये, स्थापित जन सेवा केन्द्रों एवं विभाग की अधिकृत वेबसाइट–http://updairydevelopment.gov.in के माध्यम से जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत दुग्ध समिति के निबंधन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।

2– उक्त के क्रम में दुग्ध विकास विभाग की चयनित सेवा ''दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय''के अन्तर्गत **''प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के निबन्धन''** को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों/विभागीय वेबसाइट पर प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का निबंधन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। अतः ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से दुग्ध विकास विभाग की जी0 2 सी0 कैटेगरी में प्रदान की जा रही ''दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय'' **(Decision on registration of Dairy committees)** से संबंधित इन्टीग्रेटेड सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के एवं प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती हैः–

(1)–किसी आवेदन की प्रक्रिया को ''पूर्ण''(Complete) तब माना जायेगा जब दुग्ध विकास विभाग के वेब पोर्टल से उस आवेदन के सापेक्ष निबन्धन हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 50/–एवं चार आदर्श उपविधि हेतु रूपये 80/–पृथक–पृथक निर्धारित लेखा शीर्षक–''0404–डेरी विकास–800–अन्य प्राप्तियां–09–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां'' में, पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन, सम्बन्धित जनपद के कोषागार में जमा किया जायेगा।

(2)—दुग्ध विकास विभाग की उक्त चयनित सेवा को ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई—सुविधा केन्द्रों पर आवेदनकर्ता से शासकीय ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई0टी0 विभाग के शासनादेशानुसार लिया जायेगा।

(3)— अगर कोई आवेदनकर्ता सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो इस पर उपरोक्त यूजर चार्ज लागू नहीं होंगे।

(4)— ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन को विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा, जिस तरह विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

3— उपरोक्तानुसार दुग्ध विकास विभाग की सेवा ''दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय'' को ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः दुग्ध विकास विभाग की सेवा ''दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय'' को ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या—900(1)/53—2—18, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2— अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5— राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई—गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6— स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफीसर, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

GO/rajkuamar / D